न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 344/2017
प्रविष्टि दिनांक 13.01.2017

1– बद्री पुत्र भूरा जाति जाट निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक राज0
2– जगदीश पुत्र भूरा जाति जाट निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1– सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री कृष्ण गोपाल शर्मा,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रोशनलाल बैरवा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 03.09.2024

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम सोनवा तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 6 में 2000 वर्गमीटर व ख0नं0 7 मे 3400 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा माल–2 का निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 06.07.2010 को निरस्त कर अवाप्त शुद्धा भूमि का सिचिंत भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 964.965/09 दिनांक 06.07.2010 तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 6 मे से 2000 वर्गमीटर व ख0नं0 7 मे से 3400 वर्गमीटर वाके ग्राम सोनवा मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म माल–2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थीगण सिचिंत भूमि की दर से मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है। अधिसूचना के समय भूमि की जो किस्म जमाबंदी मे अंकत थी,उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस व अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.08.2024 को प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 964,965/2009 दिनांक 06.07.2010 से प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 6 मे से 2000 वर्गमीटर व ख0नं0 7 मे से 3400 वर्गमीटर कुल अवाप्त रकबा 5400 वर्गमीटर किस्म माल–2 का डी.एल.सी. दर से ग्राम सोनवा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है।

अवार्ड पत्रावली मे संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वंत 2065 वाके ग्राम सोनवा तहसील टोंक मे उक्त भूमि असिचिंत दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा सिचिंत भूमि का मुआवजा चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा सिचिंत भूमि बाबत दस्तावेजात के रूप मे खसरा गिरदावरी सम्वंत 2064–2067 वाके ग्राम सोनवा प्रस्तुत की है, जिसमे खसरा नम्बर 6 मे सम्वंत 2064 मे फसल रबी मे सरसो नहरी सिंचित दर्ज है और सम्वंत 2065 रबी मे सरसो असिंचित दर्ज है एंव खसरा नम्बर 7 मे सम्वंत 2064 मे फसल रबी मे सरसो नहरी सिंचित दर्ज है और सम्वंत 2065 रबी मे सरसो असिंचित एंव पडत एक वर्षीय 4 बिस्वा दर्ज है और साथ ही प्रार्थीगण ने अपनी भूमि को बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र मे होना बताया है।

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान कर भवन अजमेर के परिपत्र संख्या 2/2004 के पैरा 3(च) के (ब) में **"यदि असिंचित दर्ज है लेकिन गत चार वर्षो मे से दो या दो से अधिक वर्षो मे रबी की फसल ली गयी है तो भूमि को सिंचित मान कर मूल्यॉकन किया जावे"** का उल्लेख है। प्रार्थीगण को माल–2 (असिंचित)की दर से मुआवजा दिया गया है, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने गत चार वर्षो मे से दो वर्ष सरसो की फसल काश्त की है जो रबी की फसल है। इस प्रकार पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के परिपत्र अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पैरामीटर्स पूरा करती है। पटवारी हल्का सोनवा ने भी सर्वे प्रपत्र में खसरा नं. 6 व 7 को सम्वत 2061 से 2064 तक बीसलपुर नहर से सिंचित दर्ज है का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति मे कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 06.07.2010 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड संख्या 964,965/2009 दिनांक 06.07.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित **(Remand)** किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर, दस्तावेजात (खसरा गिरदावरी) तथा तत्समय उक्त खसरा नम्बर बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र मे है अथवा नही की जांच कर पुनः नियमानुसार अवार्ड पारित करे।

निर्णय आज दिनाक 03.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ.सौम्या झा)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)